



भारत सरकार

खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर

दुसरी मंजील, जीएसआई फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र

महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स, पोस्ट -विधान सभा- रायपुर- (छ.ग)-492005

फोन- 0771--2282530/2285590/95 [मेल- ro.raipur.ibm@gmail.com](mailto:ro.raipur.ibm@gmail.com)

No- CHG/KWD/BX-02/NGP

दिनांक -20/01/2020

प्रेषिति- एजेन्ट (खान), बोदई दलदली बाक्साइट खान

सर्वश्री भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड,

बालको नगर,

जिला - कोरबा, छत्तीसगढ़ - 495684

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले मे स्थित आपकी बोदई दलदली बाक्साइट खान (Area 626.117 Ha.) . मे खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमो के उल्लंघन के संबंध मे-

महोदय

The following provisions of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated during inspection of the above mine on 24.12.2019 by undersigned accompanied by Shri Pankaj Mahanta, Mine Manager

Rule	Nature of Violation observed
11(1)	Mining operations should have been undertaken in accordance with the approved Mining Plan. The Modified Mining Plan was approved vide letter no कबीध / बॉक्स / खयो-1121201/7-रायपुर dated 17.11.2017 and following deviation was observed during inspection 1. As the working is not as per designated area the backfilling is also not as per proposal and backfilling is done partially in 9 ha. area against the proposal of 45 ha.. 2. It is proposed to do afforestation in 75 ha. area of 150000 nos saplings but against that on ly 5000 nos sapling reported for the year 2018-19.
45(5)(c) (i)	While scrutiny of Annual returns 2018-19 following deviation observed: i. The name of Mining Engineer is given as Shri S C Sao whereas, as per record Mining Engineer is Shri Pankaj Mahanta. ii. total working day is mentioned 361 days. iii. Fixed Asset is given only Rs 67153/- which is very less.

- 2 इस संदर्भ मे आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमो का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवम इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नही होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) के अंतर्गत
(क) खान की सारी खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरुध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- 3 अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनो का अतिशिघ्र सुधार करे एवम इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भितर इस कार्यालय को सूचित करे।

भवदीय

(राजेश कुमार दास)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि – for information please

- 1 खान नियंत्रक(मध्य), भारतीय खान ब्यूरो , नागपुर
- 2 संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर